

89/2025
बुधालालबायी केस
धारा-212 भा

उपरोक्त ने आवेदन पत्र तारीख 20/11/2025 को भी उपरोक्त
लेख में जो आवेदन पत्र नहीं किया है। फलस्वरूप
सर्वोच्च न्यायालय को अपील का संतुलन व ह्यूमनिटी
का बिन्दु उपरोक्त के पत्र में प्रतीत होता है।

इसलिए उपरोक्त का प्रार्थना-पत्र स्वीकार
किया जाकर दिनांक 11/11/2025 को जमानत के लिए
दस्तावेजों का निष्ठा से वाद के निर्णय तक
पुष्टि की जाकर प्रार्थना-पत्र निर्णय किया जावे।
पत्रावली फिलहाल सुमाट होडल नंबर 2025 के एवं
संतुष्ट होगा।

डा. देवा सुन्दर राणा
सहायक कलेक्टर (मु.), अजमेर